

स्थापित - 1988

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा

जिला- बालोद(छ.ग.) 491225

www.gcarjcmda.in

Email-govtcollege.arjunda1988@gmail.com



विवरण - पत्रिका

सत्र 2019.....-20.20...



Dr. L. C.
प. प्राचार्य
शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा
जिला-बालोद (छ.ग.)

कांफ़ी आफसेट9893222370

छात्र / छात्रा का शपथ पत्र

मैं श्री / श्रीमती / कु.
माता-पिता/ अभिभावक का पूरा नाम)
(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश पंजीयन/ नामांकन संख्या सहित)
(सरथा का नाम)

में हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू. जी. सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा ।

उसके विशेषतः नियमों की कंडिका - 3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ ।
मैं कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूँ / देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता / करती हूँ या षड्यंत्र करता / करती हूँ तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है ।

मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता / लेती हूँ कि -

(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा / करूंगी जोकि कंडिका - 3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो ।

(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा / बनूंगी जो कंडिका - 3 रैगिंग के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो ।

(ग) मैं सत्य निष्ठा से वचन देता / देती हूँ कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाया जाता / जाती हूँ तो मेरे विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है ।

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और न ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न ही रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षड्यंत्र में अपराधी पाया गया / गई हूँ । मैं अच्छी तरह जानता/जानती हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

घोषणा की दिनांक दिनांक माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

सत्यापन


मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है और कोई भी तथ्य असत्य नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

सत्यापन का (स्थान) (दिन) (माह) (वर्ष)

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

माह वर्ष

उपस्थिति में शपथ - पत्र में उल्लेखित नियमों का अध्ययन कर (दिन)
को हस्ताक्षर आत्मिक सचेतता दी गई ।



Dr. Prakash
शास. महाविद्यालय, जर्जुन्दा
जिला-बालोच (उ.प्र.)

शपथ आयुक्त

माता-पिता / अभिभावक का शपथ पत्र

- मैं श्री / श्रीमती / कु.
- (माता-पिता/ अभिभावक का पूरा नाम)
- (छात्र का पूरा नाम, प्रवेश पंजीयन/ नामांकन संख्या सहित)
- (संस्था का नाम)
- मैं प्रवेश हो चुका हूँ, पुष्टि करता हूँ कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी. सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।
- 2 मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ। मैंने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि यदि मेरा पुत्र /पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4 मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि -
- (अ) मेरा पुत्र /पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका- 3 के अंतर्गत आता है।
- (ब) मेरा पुत्र /पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका - 3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।
- 5 मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि यदि मेरा पुत्र /पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।
- 6 मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र /पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।
- घोषणा की दिनांक माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पता

फोन/मोबाइल नंबर

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान)(दिन) (माह) (वर्ष)

जैसी उपस्थिति में शपथ - पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन) शपथकर्ता के हस्ताक्षर

14 को हस्ताक्षर कर आत्मिक स्वीकृति दी गई। माह

वचन पत्र

(महाविद्यालय विवरण पत्रिका की कंडिका 17.3 के संदर्भ में)

मैं

पिता/माता कक्षा

घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे ज्ञात है कि रैगिंग न केवल अपराध है बल्कि मानव अधिकार का हनन भी है। मैं इस प्रकार के किसी कृत्य में शामिल नहीं रहूंगा/रहूंगी। मुझे रैगिंग के संदर्भ में दी जाने वाली सजा की जानकारी है और यदि मैं रैगिंग की घटना में शामिल पाया/पायी जाता/जाती हूँ तो मैं दंड का भी भागी रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक -

हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी कृत्य में शामिल नहीं होगा/होगी। मुझे रैगिंग में दी जाने वाली सजाएँ ज्ञात है यदि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी भी प्रकरण में लिप्त पाया/पायी जाता/जाती है, तो उसको दी जाने वाली सजा से सहमत रहूंगा/रहूंगी।

पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर

टीप - यदि अभिभावक के हस्ताक्षर सही नहीं पाये गये तो छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी जिसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा/होगी।



Pr...
प्र. प्राचार्य
शास. महाविद्यालय, अजुंदा
जिला-बालोब (उ.ग.)

संलग्न अभिलेखों की सूची

1. विद्यालय/महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र(मूल प्रति) 2. जन्म तारीख का प्रमाण पत्र 3. निवास प्रमाण पत्र 4. चरित्र प्रमाण पत्र (यदि पिछली परीक्षा असंस्थागत छात्र/छात्र के रूप में उत्तीर्ण की हो) 5. नियोक्ता की स्वीकृति पत्र 6, अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्त जाती/विकलांग छात्र/छात्रा/माता/पिता के छ.ग. द्वितीय तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र 7. प्रवजन प्रमाण पत्र (यदि आवेदक अन्य विश्वविद्यालय से आया है) 8. अंक सूची तीन प्रतियों में (सत्य प्रतिलिपि) 9. गैप प्रमाण पत्र (यदि स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा पास की हो)

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने महाविद्यालय के समस्त नियमों, व्यवस्थाओं एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अध्ययनरत रहकर अपने कर्तव्यों एवं महाविद्यालय के नियमों, व्यवस्थाओं का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी। मैं महाविद्यालय के कार्यकलाप तथा परीक्षाओं में किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनुशासन, अनुशासन हीनता एवं हिसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भाग नहीं लूंगा/लूंगी। प्रत्येक मामले में मैं प्राचार्य महोदय के निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी। किसी पदाधिकारी के रूप में प्राचार्य महोदय द्वारा अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि की पूर्व अनुमति के बिना व्यय नहीं करूंगा/करूंगी मेरे ओर से महाविद्यालय का कोई शुल्क या अन्य किसी प्रकार की राशि देय नहीं रहने दुगां/दुगी। मैं महाविद्यालय में नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहूंगा/रहूंगी मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध गत वर्षों में अनुशासन भंग, दुराचार, परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग या दुर्व्यवाहार अथवा अन्य किसी कारण से महाविद्यालय या किसी संस्था अथवा न्यायलय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैंने समस्त जानकारी इस आवेदन में दे दी है, तथा उसमें जब भी परिवर्तन होगा उसकी सूचना अनिवार्यतः दूंगा/दूगी मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया गया है, और न ही कोई असत्य जानकारी दी है। उपर्युक्त प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने की स्थिति में मेरा प्रवेश निरस्त करके अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अपनी प्रतिज्ञा में प्रति में उत्तरदायी हूँ।

मैंने महाविद्यालय संबंधी छात्रों के आचरण नियमों को पढ़ लिया है और प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मैं उनका पूर्णरूप से पालन करूंगा/करूंगी।

दिनांक

आवेदक के नाम व हस्ताक्षर

पिता/अभिभावक का घोषण पत्र

मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य द्वारा इस आवेदन में दी गई जानकारी सत्य है। महाविद्यालय के नियमों एवं व्यवस्थाओं का मैंने अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उनके अध्ययन काल में उनके आचरण, कार्य, उपस्थिति एवं व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान रखूंगा/रखूंगी तथा इसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूंगा/रहूंगी।

स्थान

दिनांक

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा जिला-बालोद (छ.ग.)

Website : www.gcarjunda.com
E.mail : govtcollege.arjunda1988@gmail.com



॥ वितरणीका ॥

सत्र : 2020- 2021

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
जिला-बालोद (छ.ग.)

17.1 आचरण संहिता - छात्रों के पालनार्थ :-

1. छात्रों को सरल निर्ब्यसनी और मितव्ययी जीवन ही बिताना चाहिए अतएव विशेषतः कालेज की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन न करें। छात्रों को वेशभूषा की तड़क-भड़क या विलासितापूर्ण शृंगार शोभा नहीं देता, इसका छात्र-छात्राओं को ध्यान रखना होगा।
2. छात्रों की यदि कोई कठिनाई हो तो उसे प्राध्यापक अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से शांतिपूर्ण आवेदन के रूप में प्रस्तुत करना उचित होगा।
3. आन्दोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग वे नहीं अपनायेंगे।
4. छात्र सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेंगे और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से न तो हस्तक्षेप करायेगें और न इनसे कोई सहायता मांगेंगे।
5. परीक्षाओं में या उसके संबंध में किसी प्रकार से अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचार माना जावेगा।
6. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति कैसे बढ़े और उसमें किसी प्रकार का कलंक न लगे, ऐसा व्यवहार छात्रों को अनुशासन और संयम में रहकर करना चाहिए।
7. आचरण के साधारण नियमों के भंग होने पर छात्रों को चाहिए कि वे दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड देने में सहयोग दें, जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य (अध्ययन एवं अध्यापन) शांति और मनोयोग के साथ चल सके।
8. छात्रों को यह सावधानी रखनी होगी कि उन पर किसी अनैतिकता मूलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग न लगे। यदि ऐसा हुआ तो तत्काल उनका नाम महाविद्यालय से निरस्त कर दिया जावेगा और वे महाविद्यालय में किसी भी छात्र प्रतिनिधि के पद पर बने नहीं रह सकेंगे।

17.2 अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम :-

मध्यप्रदेश विश्व वि. अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र-छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम हैं। अनुशासन हीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है :-

- (1) निलम्बन (2) निष्कासन (3) विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना (4) रेस्ट्रिक्शन

17.3 रैगिंग एवं दण्ड :-

रैगिंग की त्रासदायी प्रताड़ना को स्थायी रूप से रोका जा सके इसलिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा 1 सितम्बर 2001 को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अध्यादेश 2001 जारी किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा रैगिंग को सज्जेय तथा गैस जमानती अपराध माना गया है। अध्यादेश में रैगिंग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

(क) रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिए उत्तेरित बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मानवीय मूल्य का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित हो, या उसे अभिवास, सदोष परिरोध या क्षति, या उस पर अपराधिक बल के प्रयोग या सदोष अवरोध, सदोष परिरोध क्षति या अपराधिक बल प्रयोग कर अभिवास देते हुए किसी विधि पूर्ण कार्य से प्रविरत करता हो।

रैगिंग का अपराध सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय द्वारा दोषी छात्र-छात्रा को पांच वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है तथा उसे संस्था से निष्कासित किया जा सकेगा। ऐसे छात्र-छात्रा को किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश से वंचित भी किया जा सकेगा। इस अध्यादेश के अंतर्गत प्रताड़ना का प्रकरण अन्वेषण या विचरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के द्वारा अभियुक्त छात्र-छात्रा को निलंबित करने तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा उसके छात्रावास में प्रवेश से वंचित करने का भी प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को रैगिंग में भाग न लेने संबंधी एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इस वचन पत्र में छात्रों के अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।

18 महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें :-

महाविद्यालय के छात्र-छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए इस महाविद्यालय में कतिपय योजनायें चलाई गई हैं जिनका विवरण निम्न है :-

18.1 सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र :-

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं का उचित पथ प्रदर्शन करने के लिए, उनके उपयुक्त रिक्त पदों की उन्हें सूचना देने के लिए विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक योग्यता एवं वांछित मानसिक और शारीरिक दक्षता से परिचित कराने के लिए सूचना एवं मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र प्राचार्य द्वारा मनोनीति प्राध्यापकों/ग्रन्थपाल की देखरेख में कार्य करता है तथा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए यह बहुत उपयोग प्रमाणित हो रहा है।

18.2 बुक बैंक योजना :-

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को 20 सूत्रीय कार्यक्रम का लाभ देने के ध्येय से महाविद्यालय ने बुक बैंक योजना लागू की है। इस योजना के अनुसार छात्र-छात्राओं का अध्ययनार्थ पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। यह योजना योग्य अनु. सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निर्धन छात्र-छात्राओं के लिए है इसके तहत पुस्तकें उपलब्ध हैं। संबंधित छात्र-छात्राएं निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

18.3 पुस्तकालय :-

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लाभ प्रद पुस्तकें हैं। पृथक से विभागयी पुस्तकालय भी है, जिससे स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थी लाभवित होते हैं। महाविद्यालय द्वारा कई प्रमुख समाचार पत्र, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं मंगवाई जाती हैं। महाविद्यालय में वाचनालय कक्ष (रिडिंग रूम) है, जिसके प्रतिदिन खुलने का समय सत्र के प्रारंभ में सूचित किया जाता है। महाविद्यालय के सभी नियमित छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तकें

// आदेश //

महाविद्यालय में शैक्षणोत्तर गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है। संबंधित के संयोजको से अपेक्षा की जाती है, कि अपने कार्य का निष्पादन निष्ठा पूर्वक करेंगे तथा समय - समय पर प्रगति से प्राचार्य को अवगत कराते रहेंगे।

1. जनसूचना अधिकारी - प्राचार्य (पदेन)
2. सहायक जनसूचना अधिकारी - प्रो.रश्मि सिंह
3. स्टाफ कौंसिल (सचिव) - प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह
4. छात्रसंघ -
 1. प्रो.जी.पी.पाठक (प्राभारी प्राध्यापक)
 2. प्रो.आर.के.तिवारी (प्राभारी प्राध्यापक)
5. सम्मिलित निधि समिति, अध्यक्ष - प्राचार्य
उपाध्यक्ष - प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह
सचिव - प्रो.आर.के.तिवारी
सदस्य - प्रो.जी.पी.पाठक
" - डॉ.नरेशधर दीवान (क्रीडाधिकारी)
" - श्री वाय.के.बहिरट (ग्रंथालयअधिकारी)
" - कु. दीपाली (छात्र संघ अध्यक्ष)
" - दीपक कुमार (छात्र संघ सचिव)
6. अनुशासन समिति -
संयोजक - प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह
सदस्य - प्रो.आर.के.तिवारी
" - प्रो.जी.पी.पाठक
" - प्रो.श्रीमती बी.एक्का
" - डॉ.अरुणा साव
" - डॉ.नरेशधर दीवान
" - श्री वाय.के.बहिरट
7. एन्टी रैगिंग कमेटी, संयोजक - प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह
सदस्य - प्रो.आर.के.तिवारी
" - प्रो.जी.पी.पाठक
" - प्रो.श्रीमती बी.एक्का



	-	डॉ.अरुणा साव
	-	डॉ.नरेशधर दीवान
	-	श्री वाय.के.बहिरट
8. क्रय समिति :-		
संयोजक	-	प्रो.आर.के.तिवारी
सदस्य	-	श्री वाय.के.बहिरट
"	-	डॉ.अरुणा साव
9. क्रीडा प्रभारी	-	डॉ.नरेशधर दीवान
10. क्रीडा समिति, संयोजक	-	प्रो.आर.के.तिवारी
सदस्य	-	प्रो.जी.पी.पाठक
"	-	प्रो.श्रीमती बी.एक्का
"	-	डॉ.अरुणा साव
"	-	श्री मनोज कुमार
11. साहित्यिक एवं सांस्कृतिक एवं युवा उत्सव समिति,		
संयोजक	-	प्रो.श्रीमती बी.एक्का
सदस्य	-	प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह
"	-	प्रो.आर.के.तिवारी
"	-	डॉ.अरुणा साव
"	-	डॉ. श्रीमती गायत्री साहू
12. महिला उत्पीड़न समिति, संयोजक	-	प्रो.श्रीमती बी.एक्का
सदस्य	-	प्रो.जी.पी.पाठक
"	-	डॉ.नरेशधर दीवान
"	-	डॉ.अरुणा साव
"	-	डॉ. श्रीमती कुसुम देवांगन
"	-	कु. ललिता साहू
13. जनभागीदारी समिति -		
संयोजक	-	प्रो.आर.के.तिवारी
सदस्य	-	प्रो.जी.पी.पाठक
14. ग्रंथालय प्रभारी	-	श्री वाय.के.बहिरट
15. एन.एस.एस.	-	प्रो.जी.पी.पाठक (कार्यक्रम अधिकारी)
16. अपलेखन समिति संयोजक		
सदस्य	-	डॉ.अरुणा साव
"	-	श्री नीरज कुमार देवांगन
"	-	श्री जीत कुमार
"	-	श्री लक्ष्मण कुमार महिलकर
"	-	श्री के.के.बंजारे

रीक्षा प्रभारी

1. स्थानीय परीक्षा प्रभारी

— प्रो.आर.के.तिवारी (प्रभारी प्राध्यापक)

— प्रो.श्रीमती बी.एक्का

— कु. रुचि वर्मा

— कु. भारतीय सोनी

— प्रो.जी.पी.पाठक (प्रभारी प्राध्यापक)

2. विश्वविद्यालयीन परीक्षा प्रभारी

18. अनुसूचित जाति, जनजाति निर्धन एवं

पिडड़ा वर्ग छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ

— प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह, संयोजक

— प्रो.श्रीमती बी.एक्का

— श्री वाय.के.बहिरट

19. लेखा समिति — (शासकीय एवं अशासकीय लेखा का अंकेक्षण कर प्रतिवेदन प्राचार्य को सौंपेंगे)

संयोजक

— प्रो.जी.पी.पाठक

सदस्य

— प्रो.श्रीमती बी.एक्का

— श्री के.के.बंजारे

20. समय सारणी समिति

सदस्य

— प्रो.श्रीमती बी.एक्का, संयोजक

— प्रो.जी.पी.पाठक

— डॉ.अरुणा साव

21 प्रवेश समिति,

— प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह, संयोजक

कला संकाय

— प्रो.आर.के.तिवारी

— प्रो.जी.पी.पाठक

— श्री वाय.के.बहिरट

विज्ञान संकाय

— प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह

— डॉ.अरुणा साव

वाणिज्य संकाय एवं

— प्रो.श्रीमती बी.एक्का

स्नातकोत्तर विभाग

— डॉ.नरेशधर दीवान

नोट — 01. प्रवेश प्रभारी शासन के नियमानुसार प्रवेश देंगे

02. प्रवेश पंजी का प्रारूप —

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम एवं व्यवसाय	पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	जाति एवं संवर्ग	शैक्षणिक अर्हता	प्रवेश क्र. एवं दिनांक	मो.नं. /दूरभाष	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

22. शासकीय समारोह समिति

— डॉ.नरेशधर दीवान

23. महाविद्यालय विकास, रख रखाव एवं परामर्शदात्री समिति -

संयोजक

सदस्य

"

24. लोक सेवा गारंटी अधिनियम - 2011

प्रभारी प्राध्यापक

कार्यालय प्रभारी

25. यू.जी.सी.

26. यू.जी.सी. (आई.क्यू.ए.सी.) ..

27. रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन समिति

28. सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण

29. मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन कार्यक्रम

30. महाविद्यालय एवं परिसर की साफ - सफाई

श्री नीरज कुमार

कु. चन्द्रप्रभा महेश्वर

प्रो.आर.के.तिवारी

प्रो.श्रीमती बी.एक्का

डॉ.अरुणा साव

डॉ. श्रीमती गायत्री साहू

डॉ. श्रीमती कुसुम देवांगन

कु. रूचि वर्मा

श्रीमती वैजंत्री तामस्कर

प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह

श्री जयराम तिवारी, सहायक ग्रेड - 2

प्रो.जी.पी.पाठक (प्रभारी प्राध्यापक)

प्रो.जी.पी.पाठक (नोडल ऑफिसर)

प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह

प्रो.आर.के.तिवारी

प्रो.श्रीमती बी.एक्का

प्रो.जी.पी.पाठक

डॉ.अरुणा साव

श्री वाय.के.बहिरट

डॉ.नरेशधर दीवान

श्री वाय.के.बहिरट (प्रभारी)

श्री जीत कुमार

श्री लक्ष्मण कुमार

कु. भारतीय सोनी

प्रो.जी.पी.पाठक - संयोजक

प्रो.आर.के.तिवारी

डॉ.अरुणा साव

कु. ललिता साहू

श्रीमती वैजंत्री तामस्कर

प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह (प्रभारी प्राध्यापक)

प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह (प्रभारी प्राध्यापक)

9

सदस्य

31. वेतन निर्धारण समिति

- प्रो.श्रीमती बी.एक्का
- कु. रूचि वर्मा
- कु. भारतीय सोनी
- कु. चन्द्रप्रभा महेश्वर
- श्री वाय.के.बहिरट - संयोजक
- प्रो.जी.पी.पाठक
- श्री जयराम तिवारी, सहायक ग्रेड - 2

32. शोध विकास एवं विस्तार समिति

- प्रो.जी.पी.पाठक - संयोजक
- डॉ.नरेशधर दीवान
- डॉ.अरुणा साव
- डॉ. कुसुम देवांगन
- डॉ. श्रीमती गायत्री साहू

33. कम्प्यूटर एवं तकनीकी शिक्षा

सदस्य

- प्रो.जी.पी.पाठक - संयोजक
- श्री नीरज कुमार
- श्री जीत कुमार
- श्री मनोज कुमार
- श्री लक्ष्मण कुमार
- श्री उत्तम देशमुख, प्रयो.तक.
- श्री पृथ्वीराज ठाकुर, सहायक ग्रेड - तीन
- डॉ.अरुणा साव - संयोजक

34. छात्रा कॉमन रूम

सदस्य

- कु. रूचि वर्मा
- कु. भारतीय सोनी
- कु. चन्द्रप्रभा महेश्वर
- कु.पुष्पा, प्रयो.परि.

35. शिक्षक पालक योजना

सदस्य

- प्रो.श्रीमती बी.एक्का (प्रभारी प्राध्यापक)
- डॉ. श्रीमती गायत्री साहू

36. वृक्षारोपण एवं बागवानी

सदस्य

- प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह (प्रभारी प्राध्यापक)
- प्रो.जी.पी.पाठक
- डॉ.नरेशधर दीवान
- कु. रूचि वर्मा
- श्रीमती वैजंत्री तामस्कर
- कु. भारती सोनी
- कु. चन्द्रप्रभा महेश्वर

4

37. महाविद्यालयीन पत्रिका समिति,

- प्रो.आर.के.तिवारी - संयोजक

सदस्य

- डॉ. श्रीमती गायत्री साहू

38. छात्र कल्याण एवं शिकायत निवारण


- प्रो.श्रीमती बी.एक्का - संयोजक

सदस्य

- प्रो.जी.पी.पाठक

- डॉ. श्रीमती कुसुम देवांगन

- नोट:-
1. इसके अतिरिक्त छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग एवं प्राचार्य द्वारा समय - समय पर सौंपे गये कार्यों का भी प्राध्यापकगण निष्पादन करेंगे।
 2. शासन के आदेशानुसार 07 घंटे प्रत्येक प्राध्यापक को महाविद्यालय में रूकना आवश्यक है।
 3. शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त प्रति सप्ताह प्रत्येक प्राध्यापकों को 10 घंटे अध्ययन - अध्यापन की तैयारी हेतु समय देना आवश्यक है, जिसका विवरण अपने व्यक्तिगत समय - सारणी में अवश्य दें।
 4. प्रत्येक प्राध्यापक प्रति सप्ताह 08 घंटे प्रशासनिक एवं अन्य कार्य हेतु समय देवें, इसका भी उल्लेख व्यक्तिगत समय सारणी में करें।


प्राचार्य
प्र. प्राचार्य
शास. महाविद्यालय, अर्जुन्दा
जिला-बालोद (छ.ग.)

कार्यालय - प्राचार्य
























शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, जिला - बालोद (छ.ग.)

क्रमांक - 2 / स्था. / 2020

अर्जुन्दा, दिनांक 16-05-2020

// आदेश //

महाविद्यालय में शैक्षणोत्तर गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है। यहाँ से अपेक्षा की जाती है, कि अपने कार्य का निष्पादन निष्ठा पूर्वक करेंगे तथा समय - समय पर प्रगति से प्राचार्य का अवगत कराएँ।

जनसूचना अधिकारी	-	प्राचार्य (पदेन)	
सहायक जनसूचना अधिकारी	-	प्रो.रश्मि सिंह	
स्टाफ कौंसिल (सचिव)	-	प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह	
छात्रसंघ	-	1. प्रो.जी.पी.पाठक	
	-	2. प्रो. मोहित कुमार साव	
सम्मिलित निधि समिति, अध्यक्ष	-	प्राचार्य	
उपाध्यक्ष	-	प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह	
सचिव	-	प्रो.जी.पी.पाठक	
"	-	प्रो. श्रीमती बसंती एक्का	
"	-	डॉ. अलका आर. देव	
"	-	डॉ. अरुणा साव	
"	-	डॉ.समीर दशपुत्रे	
"	-	प्रो. आयुष्मान मिश्रा	
"	-	प्रो. मोहित कुमार साव	
पासन समिति -			
संयोजक	-	प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह	
सदस्य	-	प्रो.जी.पी.पाठक	
"	-	प्रो.श्रीमती बी.एक्का	
"	-	डॉ.अरुणा साव	
"	-	डॉ.समीर दशपुत्रे	
"	-	प्रो. मोहित कुमार साव	
पी रैगिंग कमेटी, संयोजक	-	प्रो.श्रीमती रश्मि सिंह	
सदस्य	-	प्रो.जी.पी.पाठक	
"	-	प्रो.श्रीमती बी.एक्का	
"	-	डॉ. अरुणा साव	
"	-	प्रो. मोहित कुमार साव	



Wc Principal

सदस्य

प्रौ श्रीमती रश्मि सिंह

डॉ. मालका आर. देव

प्रौ. मोहित कुमार खन्ना

9. दीक्षा प्रभाषी

डॉ. मोहित कुमार खन्ना

10. सांश्लिखिक एव सांस्कृतिक एव युवा उत्सव समिति,

संयोजक

सदस्य

डॉ. अलका आर. देव

प्रौ श्रीमती वी.ए.एकका

प्रौ श्रीमती रश्मि सिंह

डॉ. अरुणा साठ

प्रौ श्रीमती वी.ए.एकका

11. महिला उत्पीड़न समिति, संयोजक

सदस्य:

डॉ. अलका आर. देव

डॉ. समीर दशगुप्ते -

जनभागीदारी समिति -

संयोजक

सदस्य

प्रौ वी.पी.पाठक

डॉ. समीर दशगुप्ते

13. ग्रथालय प्रभाषी

14. एन.एस.एस. / रेडरिबन

15. आयुष्मान् समिति संयोजक

सदस्य

डॉ. समीर दशगुप्ते -

प्रौ आयुष्मान् मिश्रा

प्रौ श्रीमती रश्मि सिंह

डॉ. अलका आर. देव

डॉ. अरुणा साठ

प्रौ. आयुष्मान् मिश्रा

16. परीक्षा प्रभाषी

1. स्थानीय परीक्षा प्रभाषी

प्रौ. श्रीमती रश्मि सिंह

प्रौ. श्रीमती वी.ए.एकका

डॉ. अलका आर. देव

प्रौ. मोहित कुमार साठ

प्रौ. वी.पी.पाठक (प्रभाषी प्रशासक)

2. विश्वविद्यालयीन परीक्षा प्रभाषी

17. अनुसूचित जाति, जनजाति निधन एव

विड्डा वर्ग छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ

18. लेखा समिति - (शासकीय एव अशासकीय लेखा का अंकेक्षण कर प्रतिवेदन प्रान्त्य को सौंपणे)

संयोजक

सदस्य

प्रौ वी.पी.पाठक

प्रौ श्रीमती वी.ए.एकका

प्रौ. मोहित कुमार साठ

प्रौ श्रीमती वी.ए.एकका

19. समय सारणी समिति

सदस्य

प्रौ. मोहित कुमार साठ

डॉ. अरुणा साठ

20

विज्ञान संकाय

वाणिज्य संकाय एवं स्नातकोत्तर विभाग

- नोट - 01. प्रवेश प्रभारी शासन के नियमानुसार प्रवेश देगे
02. प्रवेश पंजी का प्रारूप -

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम एवं व्यवसाय	पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	जाति एवं सवर्ग	शैक्षणिक अर्हता	प्रवेश क्र एव दिनांक	गोन / प्रमाण	पृ.
2		3	4	5	6	7	8	9	10

21. महाविद्यालय विकास, रख रखव एवं परामर्शदात्री समिति -

संयोजक

प्रो. श्रीमती रश्मि सिंह

सदस्य

प्रो. श्रीमती बी. एकका

डॉ. अरुणा साव

22. लोक सेवा गारटी अधिनियम - 2011

प्रभारी प्राध्यापक

प्रो. श्रीमती रश्मि सिंह

23. यू.जी.सी.

संयोजक

डॉ. अलका आर. देव

डॉ. अरुणा साव

डॉ. समीर दशपुत्रे - Dr. S. M. D. S.

24. IQAC/NAAC Steering committee

एवं College Calender समिति

संयोजक IQAC

प्रो. श्रीमती रश्मि सिंह (संयोजक) (NAAC Steering committee)

डॉ. अरुणा साव

डॉ. समीर दशपुत्रे - Dr. S. M. D. S.

डॉ. अलका आर. देव

प्रो. जी. पी. पाठक

प्रो. श्रीमती बी. एकका

प्रो. मोहित कुमार साव

प्रो. आयुजान मिश्रा

डॉ. समीर दशपुत्रे (संयोजक)

डॉ. अरुणा साव

प्रो. आयुजान मिश्रा

25. रूसा

26. एक भारत श्रेष्ठ भारत

28. वेतन निर्धारण समिति

29. कम्प्यूटर एवं तकनीकी शिक्षा
सदस्य

30. छात्रा कॉमन रूम
सदस्य

31. शिक्षक पालक योजना
सदस्य

32. वृक्षारोपण एवं बागवानी
सदस्य

33. रेडकास सोसाइटी

34. छात्र कल्याण एवं शिकायत निवारण
सदस्य




































35. रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन
सदस्य

36. मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन
शोध विस्तार एवं विकास
संयोजक

38. महाविद्यालयीन पत्रिका समिति
सदस्य

39. COVID 19 Cell

40. Feed back analysis

- प्रो. श्रीमती रश्मि सिंह (प्रभारी प्राध्यापक) 
- प्रो. श्रीमती बी.एक्का 
- प्रो. मोहित कुमार साव 
- प्रो. आयुष्मान मिश्रा 
- प्रो. श्रीमती बी. एक्का - संयोजक 
- प्रो. जी.पी. पाठक 
- प्रो. मोहित कुमार साव 
- डॉ. समीर दशपुत्रे - 
- प्रो. मोहित कुमार साव 
- श्री उत्तम देशमुख, प्रयो. तक. 
- डॉ. अरुणा साव - संयोजक 
- प्रो. श्रीमती बी.एक्का 
- डॉ. अरुणा साव 
- प्रो. श्रीमती बी.एक्का (प्रभारी प्राध्यापक) 
- डॉ. अलका आर. देव 
- प्रो. आयुष्मान मिश्रा 
- प्रो. श्रीमती रश्मि सिंह (प्रभारी प्राध्यापक) 
- प्रो. श्रीमती बी. एक्का 
- प्रो. आयुष्मान मिश्रा 
- प्रो. मोहित कुमार साव 
- प्रो. श्रीमती बी.एक्का - संयोजक 
- प्रो. मोहित कुमार साव 
- डॉ. अरुणा साव 
- प्रो. मोहित कुमार साव 
- प्रो. श्रीमती बी. एक्का 
- प्रो. आयुष्मान मिश्रा 
- डॉ. अलका आर. देव 
- डॉ. समीर दशपुत्रे - 
- प्रो. श्रीमती बी. एक्का (संयोजक) 
- डॉ. अरुणा साव 
- प्रो. मोहित कुमार साव 
- डॉ. अलका आर. देव 
- डॉ. समीर दशपुत्रे - 
- प्रो. आयुष्मान मिश्रा 
- प्रो. श्रीमती बी. एक्का (संयोजक) 

41. Website updation

42. Media में प्रचारण हेतु सक्ति

की वक्तव्य मांग

की नोटिस कृपया मांग

की वकील का पता - Balod

श्री. आशुमान मिश्रा

श्री. आशुमान मिश्रा

नोट:-

- 1 इसका अतिरिक्त 10 मं शासन, उच्च शिक्षा विभाग एवं प्राथम्य द्वारा समय - समय पर भी कार्य का ही निष्पत्ति निष्पत्ति न करेंगे।
- 2 शासन के आदेशानुसार 07 मं प्रत्येक प्राथमिक को नवनिर्माण में करना अनिवार्य है।
- 3 शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त प्रति सप्ताह प्रत्येक प्रशिक्षण को 10 मं अथवा अधिक समय देना आवश्यक है, जिसका विवरण अपने व्यक्तिगत पास कार्ड में अलग दे।
- 4 प्रत्येक प्राथमिक प्रति सप्ताह 08 मं प्रशासनिक एवं अन्य कार्य हेतु समय देना, इसका भी विवरण अपने व्यक्तिगत पास कार्ड में करें।

(Handwritten signature)

Uc Principal
Govt. College, Arjunda
Distt.-Balod (O.G.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय अर्जुदा



जिला - बालोद छ.ग.

website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

No - 196

Date - 26/08/2021


Order

For the smooth conduction of academic activities in the college premises the following committees has constituted. This is to expect that all the concern faculty members should execute their allotted duties with great sincerity.

S.No.	Committee's name	Co-coordinator's name	Members' name
01	Right to information act (RIT)	Principal	
02	Assistant RTI officer	Prof. Rashmi Singh	
03	Staff council (Secretary)	Prof. Rashmi Singh	
04	Student union	Prof. G.P. Pathak	Dr. Samir Dashputre
05	Discipline	Prof. Rashmi Singh	Dr. Aruna Sao Mr. Mohit Sao Mr. Ayushman Mishra
06	Anti-Ragging	Prof. G.P. Pathak	Prof. Rashmi Singh Prof. B. Ekka Dr. Aruna Sao Dr. Samir Dashputre Mr. Ayushman Mishra Mr. Mohit Sao
07	Purchas	Prof. Rashmi Singh	Dr. Samir Dashputre Mr. Mohit Sao
08	Culture, Literary and Youth welfare	Dr. Aruna Sao	Prof. B. Ekka Mr. Mohit Sao Mr. Ayushman Mishra
09	Sport In-charge	Mr. Mohit Sao	
10	Library In-Charge	Dr. Samir Dashputre	
11	Committee against Women Harassment	Dr. Aruna Sao	Prof. B. Ekka Prof Rashmi Singh
12	Janbhagidari (J.B)	Prof. G.P. Pathak	Dr. Aruna Sao Dr. Samir Dashputre Mr. Mohit Sao Mr. Ayushman Mishra
13	N.S.S. and Red Ribbon	Mr. Ayushman Mishra	
14	Write-offs (Aplekhan)	Prof. Rashmi Singh	Dr. Samir Dashputre Mr. Mohit Sao

PRINCIPAL

S.No.	Committee's name	Co-coordinator's name	Members' name
15	Internal Examination In-charge (U.G)	Prof. Rashmi Singh	Prof. B. Ekka Mr. Ayushman Mishra
16	Internal Examination In-charge (P.G)	Dr. Samir Dashputre	Mr. Mohit Sao
17	University Examination for U.G	Prof. G.P. Pathak	Dr. Aruna Sao Dr. Samir Dashputre Prof. Rashmi Singh Mr. Mohit Sao
18	University Examination for P.G	Dr. Samir Dashputre	Mr. Mohit Sao Prof. B. Ekka
19	Scholarship cell (ST/SC/OBC)	Prof. Rashmi Singh	Mr. Ayushman Mishra Prof. B. Ekka
20	Financial Audit (Lekha Samiti)	Prof. G.P. Pathak	Dr. Samir Dashputre Mr. Mohit Sao
21	Academic Audit	Principal	
22	Academic calendar/ Timetable	Dr. Aruna Sao	Mr. Ayushman Mishra Mr. Mohit Sao
23.	College Development	Pro. Rashmi Singh	Prof. G.P. Pathak Dr. Aruna Sao Dr. Samir Dashputre
24.	Public service grantee Act Lok Seva Grantee Act.	Mr. Mohit Sao	
25.	U.G. C.	Dr. Aruna Sao	Mr. Ayushman Mishra Mr. Mohit Sao
26	IQAC	Co-ordinator Dr. Samir Dashputre Asth. Co-ordinator Dr. Aruna Sao	Prof. G.P. Pathak Prof. B. Ekka Mr. Ayushman Mishra Mr. Mohit Sao
27	NAAC	Prof. Rashmi Singh	Prof. G.P. Pathak Prof. B. Ekka Dr. Aruna Sao Dr. Samir Dashputre Mr. ayushman Mishra Mr. Mohit Sao
28	RUSA	Prof. G.P. Pathak	Dr. Samir Dashputre Mr. Ayushman Mishra
29	EBSB	Mr. Ayushman Mishra	Prof B. Ekka Mr. Mohit Sao
30	Red-cross Society	Mr. Mohit Sao	
31	Pay fixation	Prof. G.P. Pathak	Dr. Samir Dashputre Mr. Mohit Sao


PRINCIPAL
 Govt. College, Arjunda
 Distt. Balod (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय अजुदा

जिला - बालोद छ.ग.

website : www.gcarjunda.com NAAC grade B E-mail: govtcollege.arjunda1988@gmail.com

S.No.	Committee's name	Co-coordinator's name	Members' name
32	Girls Common Room	Prof. Rashmi Singh	Dr. Aruna Sao Prof. B.Ekka
33	Parents teacher meet	Prof B.Ekka	Dr. Aruna Sao Mr. Ayushman Mishra
34	Student welfare and support	Dr. Aruna Sao	Dr. Samir Dashputre Mr. Ayushman Mishra Prof. B. Ekka
35	Career Council Cell	Prof. G.P. Pathak	Prof. Rashmi Singh Dr. Aruna Sao Mr. Mohit Sao.
36	C.M. Skill Development	Mr. Ayushman Mishra	Prof. B.Ekka
34	Research and Development cell	Dr. Samir Dashputre	Prof. Rashmi Singh Dr. Aruna Sao
35	Feed-Back analysis	Dr. Aruna Sao	Prof. G.P. Pathak Mr. Mohit Sao
36	Website updating	Dr. Samir Dashputre	Dr. Aruna Sao
36.	Media In-chare	Mr. Ayushman Mishra	Mr. Mohit Sao
37	Grievance and Redressal cell (Internal and External examination Grievance and Redressal)	Dr. Aruna Sao	Prof. G.P. Pathak Dr. Samir Dashputre Mr. Mohit Sao
38	Internal Complaint	Dr. Samir Dashputre	Prof G.P. Pathgak
39	Minority Cell	Prof. Rashmi Singh	Mrs. B. Ekka
40	OBC Cell	Dr. Aruna Sao	Mr. Mohit Sao
41	AISHE Co-ordinator	Dr. Aruna Sao	

(Signature)

Principal
Govt. College, Arjunda
Distt. Balod (C.G.)

- (i) Dr. Samir Dashputre *(Signature)*
(ii) Dr Aruna Sao *(Signature)*
(iii) Ayushman Mishra *(Signature)*
(iv) Rashmi Singh *(Signature)*
(v) MOHIT KUMAR SAO *(Signature)*
(vi) G.P. Pathak *(Signature)*